4602

ई पत्रावली संख्या-61203

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CE(P)/AAO

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर,2023

प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न विधानसभा में लो0नि0वि0 के सेतुओं के सुरक्षात्मक कार्यों के विभिन्न 10 कार्यों (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

SSO(P)-II

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिनमें 10 स्पान सेतुओं के प्रथम चरण की लागत ₹ 93.51 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 76.97 लाख (रूपये छियत्तर लाख सत्तानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात 10 कार्यों हेतु कुल ₹ 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

Chief Engineer (Planning) P.W.D., Dehradun

(धनराशि लाख ₹

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में)	शासन द्वारा अनु. लागत	चालू वितुतीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि
1	"जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखण्ड कोट में टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग व्यासघाट विलखेत मोटर मार्ग के कि0मी0 61 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)"	24 मी0	5.43	0.10
2	"जनपद नैनीताल में विधानसभा भीमताल के काठगोदाम हैडाखान सिमलिया बैण्ड साननी बैण्ड मोटर मार्ग (S.H- 103) के कि0मी0 33 चै0 32.200 में क्लास बी से ए लोडिंग में परिवर्तन हेतु सेतु का Visual Inspection, non-destructive testing and Structural analysis & Redesign कराने का कार्य । (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)"	64 मी0	9.32	0.10
3	"जनपद नैनीताल में विधानसभा नैनीताल के अन्तर्गत गर्जिया (घुघुतियाधार) बेतालघाट-खैरना-सुयालबाड़ी दूओड़ाखौन-पसियापानी- भटेलिया-	70 मी0	10.29	0.10

10036

AO P-I

	मुक्तेश्वर मोटर मार्ग (S.H- 62) के कि0मी0 65 है0मी0 (0-2) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डबल लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)"			
4	"जनपद नैनीताल में विधानसभा भीमताल के विकासखण्ड आलेखकाण्डा में खुटानी भवाली धानाचुली ओखलकाण्डा खनस्यू पैंतलोट मीडार तामली राज्य मार्ग संख्या 64 मोटर मार्ग के कि0मी0 91 में गोंगडा गधेरे में स्थित सेतु के क्लास बी से ए लोडिंग में परिवर्तन हेतु Visual Inspection, non-destructive testing and Structural analysis & Redesign कराने का कार्य । (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)"	21 मी0	5.42	0.10
5	"जनपद नैनीताल में विधानसभा भीमताल के विकासखण्ड आलेखकाण्डा में खुटानी भवाली धानाचुली ओखलकाण्डा खनस्यू पैंतलोट मीडार तामली राज्य मार्ग संख्या 64 मोटर मार्ग के कि0मी0 80 में खनस्यू में स्थित सेतु के क्लास बी से ए लोडिंग में परिवर्तन हेतु Visual Inspection, non-destructive testing and Structural analysis & Redesign कराने का कार्य । (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)"	72 मी0	9.32	0.10
6	"जनपद नैनीताल में विधानसभा भीमताल के विकासखण्ड धारी में रानीबाग-भीमतला-खुटानी-पदमपुरी-धानाचुली-मोतियापाथर मोटर मार्ग संख्या 10 के कि0मी0 35 में पदमपुर में स्थित सेतु के क्लास बी से ए लोडिंग में परिवर्तन हेतु Visual Inspection, non-destructive testing and Structural analysis & Redesign कराने का कार्य । (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)"	45 मी0	7.08	0.10
7	"जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में राज्य योजनान्तर्गत रामनगर-भडारपानी-ओखलढुगा-तल्ली सेठी-बेतालघाट-रतोडा-भुजान-विशालकोट-जैना-रिची-विलेख मोटर मार्ग संख्या (S.H- 71) के कि0मी0 59 चै0 58.600 में सेतु (डबल लेन क्लास ए/70 आर लोडिंग) का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TORके अनुसार)"	125 मी0	18.38	0.10
8	"जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र भीमताल काठगोदाम हैडाखान सिमलिया बैण्ड साननी बैण्ड मोटर मार्ग (S.H- 103) के किमी0 48 चै0 47.900 में क्लास बी से क्लास ए लोडिंग में परिवर्तन हेतु सेतु का Visual Inspection, non-destructive testing and Structural analysis & Redesign कराने का कार्य । (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)"	30 मी0	5.43	0.10
9	"जनपद नैनीताल के विकासखण्ड क्षेत्र कालाढूंगी में रामनगर- कालाढूंगी- हल्द्वानी द्काठगोदाम	16 मी0	2.46	0.10

	द्वचौरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग सं0 41 के किमी0 53 में रकसिया नाले में लालडांठ नामक स्थान पर 1 6 मी0 विस्तार आर0सी0सी0 सेतु का नवनिर्माण (डबल लेन क्लास ए/70आर लोडिंग) का कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)"			
10	"जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के भिकियासैण देघाट बूंगीधार मेहलचौरी बहुवाखाल चौखुटिया मोटर मार्ग में मसाली गधेरे में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (R F Q एवं TOR के अनुसार)"	18.30 मी0	3.84	0.10
	कुल योग	**10 सेतु**	**76.97**	**1.00**

(रू. एक लाख मात्र)

2- उक्त स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

i. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्याः-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/ 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ii. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)19-190(PWD) 01 टी.सी .II दिनांक 05.02.2020 एवं शासनादेश संख्या-1403/III(2)/21-8 (सामान्य) 2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

iii. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iv. कार्यों पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

v. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

vi. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

vii. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेन्ट रूल्स 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

viii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः-2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ix. उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन.पी.वी, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के

सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

x. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

xii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xiii. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः-183/XXVII(1) /2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer, PWD में किया जा रहा है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 की कम्प्यूटरजनित संख्या-I/164233/2023 दिनांक 25 अक्टूबर,2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 27-10-2023 12:30:57

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी/नैनीताल/अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग2 -, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, 7वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग।
9. सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग।
10. गार्ड फाईल।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/164913/2023 | आवंटन आई डी-S23100220093
अनुदान संख्या -022 | आवंटन पत्र दिनांक-31-OCT-2023

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	7210000	100000	0	7310000
योग	7210000	100000	0	7310000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,00,000 (Rupees One Lac Only)
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–I" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1315 / 20 याता0'क' / 2023 दिनांक– 7 .11.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / हल्द्वानी / अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता 7 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून